

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना
(सीकर)

क्रमांक:- 398

दिनांक:- 09/03/23


निविदा सूचना

कार्यालय सदस्य सचिव मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) में पार्किंग कार्य हेतु इच्छुक फर्म से मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	सामग्री / कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.	अमानत राशि रू.	निविदा विक्रय करने की अंतिम दिनांक	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	पार्किंग कार्य हेतु	300000	400	24000	21.03.23 अप. 2:00 बजे	21.03.23 अप. 4:00 बजे	22.03.23 11:00 AM

एवं

उक्त निविदा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत जारी की जाकर राजकीय वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है। निविदा की अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती हैं।


सदस्य सचिव


मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी नीमकाथाना

क्रमांक- 2022-23/

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय हाजा, नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।


सदस्य सचिव

मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी नीमकाथाना

वाहन पार्किंग ठेके हेतु निविदा प्रपत्र

निविदादाता / फर्म का नाम:-

नाम एवं पता:-

मोबाइल नम्बर:-

अमानत राशि का विवरण

डी.डी. / बैंकर्स चैक नम्बर:- दिनांक

डी.डी. / बैंकर्स चैक की राशि (अंको में)

डी.डी. / बैंकर्स चैक की राशि (शब्दों में)

मैं इस चिकित्सालय में वाहन पार्किंग का ठेका प्रतिमाह (.....) की दर से राशि शब्दों में (.....) रूपयें में लेने के लिये तैयार हूँ तथा मुझे वाहन पार्किंग ठेके सम्बन्धी सभी प्रकार की शर्तें स्वीकार्य हैं।

नियम एवं शर्तें:-

1. वाहन पार्किंग की अवधि वित्तिय वर्ष 2022-23 के लिये मान्य होगी एवं वाहन पार्किंग 24 घण्टें के लिये वैध होगी।
2. दुपहिया वाहन के लिये 10 रूपयें एवं हल्के, तिपाहिया, चौपाहिया वाहनों के लिये 20 रूपयें प्रति 08 घण्टें के हिसाब से शुल्क वसूल किया जायेगा। इससे अधिक राशि वसूल करने या ऐसी शिकायत पाये जाने पर पार्किंग ठेकेदार से वसूल की गयी राशि का 05 गुना वसूल किया जायेगा।
3. समस्त स्टॉफ वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेगा। स्टॉफ के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
4. वाहन पार्किंग की अग्रिम राशि हर माह की 25 तारीख तक डी.डी जमा करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर प्रतिदिन 100 रूपयें के हिसाब से पेनल्टी वसूल की जायेगी।
5. रोगी वाहन एवं सरकारी वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेगे, बशर्ते रोगी वाहन में रोगी का होना जरूरी है।
6. वाहन पार्किंग का ठेका अधिकतम बोलीदाता को छोड़ा जायेगा एवं न्यूनतम राशि 24,000 की रूपयें होगी। जो अमानत राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। अमानत राशि के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
7. प्रथम माह की अग्रिम राशि सफल निविदादाता द्वारा इसके अतिरिक्त जमा करवानी होगी।
8. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने पर सम्बन्धित थाने को तुरन्त ईतला दी जायेगी एवं साथ ही वाहन पार्किंग का ठेका निरस्त करने पर विचार भी किया जा सकता है।

Please affix
your latest
Passport Size
Photograph
here

9. किसी भी प्रकार के वाद विवाद के लिये स्थानीय न्यायालय कार्यक्षेत्र होगा।
10. वाहन पार्किंग ठेके में ठेकेदार का चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर, राजस्थान द्वारा जारी ही मान्य होगा एवं ठेकेदार द्वारा लगायें गये समस्त कर्मचारियों का आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला सीकर, राजस्थान द्वारा जारी किया हुआ ही मान्य होगा। उपरोक्त समस्त सभी दस्तावेज कार्यालय में जमा करवाने पर ही सम्बन्धित ठेकेदार को वाहन पार्किंग का ठेका दिया जायेगा।
11. चिकित्सालय में किसी भी प्रकार का कार्य करने हेतु आने वाले व्यक्तियों से वाहन पार्किंग शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह होने पर आप कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
12. उपरोक्त सभी शर्तों का पालन नहीं करने पर वाहन पार्किंग ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है एवं साथ ही धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

घोषणा

मैंने आपकी निविदा क्रमांक:- दिनांक:- के लिये निर्धारित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा उक्त शर्तों के अनुसार वाहन पार्किंग ठेका लेने के लिये मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ऊपर दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है तथा कोई भी तथ्य गलत पाये जाने पर मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

परिशिष्ट 'अ'

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/ हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो जिला कार्यालय को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर नाम.

.....
पत्र व्यवहार का पता.....

.....
मो० न०.-.....

परिशिष्ट 'ब'

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो विभाग को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी धरोहर राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय नीमकाथाना (सीकर) को प्रदत्त करते/करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पत्र व्यवहार का पता.....

.....
मोबाइल नम्बर—.....